



Neutral Citation No. - 2026: AHC:6242

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 42064 सन् 2025

असरफ चौधरी

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:- प्रखर सारन श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री अरिमर्दन यादव, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 07 सन् 2024, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 201 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-D के अंतर्गत, थाना साइबर क्राइम, जनपद गौतम बुद्ध नगर में जमानत पर रिहाई हेतु दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और विवेचना के दौरान सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में उसका नाम उभरा। उनका कहना है कि आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। उनका कहना है कि आरोपित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उनका कहना है कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है और आवेदक को किसी अभिरक्षा-पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि आवेदक उक्त धन के लेन-देन का लाभार्थी नहीं है। विवेचना अधिकारी प्रकरण में आवेदक को संलिप्त करने के लिए उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र नहीं कर सका। उनका कहना है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका एवं प्रेरणा नहीं सौंपी गई है। आवेदक दिनांक 31.10.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका कहना है कि आवेदक के विरुद्ध कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक पूर्व-वृत्त नहीं है। उनका कहना है कि रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई उक्त प्रस्तुतियों का खण्डन नहीं कर सके।

समस्त उन तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का प्रकरण बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **असरफ चौधरी**, जो उक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को व्यक्तिगत मुचलके तथा दो विश्वसनीय जमानतदारों द्वारा समान राशि में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर मुचलका निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डराने-धमकाने का कार्य नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

9 जनवरी, 2026

पीकेएस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।